Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where neccessary
13.12.2025	**प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमॉक 06 में पेश।** परिवादी सहित श्री असलम खान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त सहित श्री राजेन्द्र कर्ण अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण लोक अदालत में नियत है। इसी स्तर पर परिवादी द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। इस आदेश द्वारा राजीनामा आवेदन का निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में परिवादी की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर परिवादी ने अभियुक्त से उनका राजीनामा होना स्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि परिवादी को अभियुक्त से संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है एवं कोई लेन देन शेष नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा लोक हित में है। उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत में स्वेच्छ्यापूर्वक राजीनामा हुआ है, इसीलिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित न्याय दृष्टान्त दामोदर एस. प्रभु विरूद्ध सैयद बाबालाल (2010) 5 एस.सी.सी. 663 में दिये निर्देशानुसार और समझौता कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उभय पक्ष के मध्य हुए स्वेच्छापूर्वक राजीनामा और परिवादी की संतुष्टि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायदृष्टांत मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी विरूद्ध प्रतीक जैन एवं अन्य 2014 वाल्यूम–तीन जे.एल.जे. 243 एस सी में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत एवं विधि के आलोक में उभयपक्ष को राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा अंतिम तर्क के स्तर पर हुआ है इसीलिये अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह समन शुल्क **राशि रू. 400/–** तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन के मद में जमा कर रसीद इस न्यायालय को आज ही पेश करें, तो राजीनामा स्वीकार किया जा सकेगा। **सदस्य** **(श्री सुदीप बघेल)** **पीठासीन अधिकारी** (श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (खण्डपीठ कं. 06) **पुनश्चः–** इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से समन शुल्क की राशि **रूपये 400/–**तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन की मद में	मुन्नीलाल

Order Sheet [Contd]

Case No. SCNIA 57/2023 of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जमा कर **बुक कमांक 39520 सीरियल कमांक 99** प्रस्तुत की गई। अतः अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त राजीनामा के परिणाम स्वरूप परिवादी को न्यायालय शुल्क वापसी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। अभियुक्त की न्यायिक निरोध अवधि निरंक है, अतः इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत विवरण तैयार किया जावे, जो अभिलेख का भाग रहेगा। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी एवं सीआईएस 3.2 में अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे। Sudeep सदस्य (श्री सुदीप बघेल) पीठासीन अधिकारी (श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (खण्डपीठ कं. 06)	